

संघप्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन / U.T. Administration of Daman & Diu

समाहर्ता कार्यालय, दमण / Office of the Collector, Daman.

मोटी दमण / Moti Daman - 396 220.

सं. 2/20190070/2019-LND/ 2021

दिनांक / Dt.: 04/04/2021

पढें /Read:- Application dated 10/05/2019 received from Shri Sureshchandra Ramanlal Desai, R/o Brahmin Falia, Vatar, Vapi.

सनद / S A N A D

Cost of execution of
Damanganga Irrigation project
Vide Challan No. 17
dated 08/11/2021 ₹ 30000/-

अनुसूची / SCHEDULE - II

[अनुसूची ३ गोवा, दमण एवं दीव भू-राजस्व (भूमि के उपयोग में परिवर्तन तथा गैर-कृषि भूमि मूल्यांकन) नियमावली, 1969 का नियम-7 देखें]
[See Rule 7 of the Goa, Daman and Diu Land Revenue (Conversion of use of land & non-agricultural Assessment) Rules, 1969.]

जबकि समाहर्ता, दमण (इसके आगे "समाहर्ता" कहा जायेगा एवं समाहर्ता जिस अधिकारी को अपने अधिकारों के प्रयोग करने तथा कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए नियुक्त करेंगे, उसे भी समाहर्ता कहा जायेगा) को इस प्रदेश में लागू गोवा, दमण एवं दीव भू-राजस्व, कोड, 1968 की धारा-32 (इसके आगे इसे कोड कहा जायेगा, जिसमें संदभ के अनुसार इसके तहत बनी नियमावली एवं आदेश भी शामिल हैं) के तहत श्री सुरेशचंद्र रमणलाल देसाई ----- निवासी - ब्राह्मण फलिया, वटार, वापी ने केडस्ट्रल, सर्वे स्थान में स्थित "-मोटो वाडो" सर्वे सं. के अंतर्गत भीमपोर, नानीदमण, जिला दमण नाम का पंजीकरण सं. 46/1 - 1400.00, 46/2 - 800.00, 46/3 - 800.00 चौ. मी. ----- के तहत पंजीकृत प्लॉट के दखलदार (इसके आगे आवेदक कहा जाएगा एवं आवेदक के वारिस, निष्पादक, प्रबन्धकर्ता तथा अधिन्यासी को भी आवेदक कहा जाएगा) के रूप में उक्त भूमि प्लॉट (इसके अनुलग्नक-1 में वर्णित प्लॉट जो सर्वे सं. 46/1, 46/2, 46/3 ----- का भाग है एवं जिसका माप 1400.00, 800.00 & 800.00 ----- वर्ग मीटर है, उसे उक्त प्लॉट कहा जाएगा) का -वाणिज्यिक (होटल) - प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुमति मांगी है;

Whereas an application has been made to the Collector of Daman (hereinafter referred to as "the Collector" which expression shall include any Officer whom the Collector shall appoint to exercise and perform his powers and duties under this grant) under Section 32 of the Goa, Daman and Diu Land Revenue code, 1968 applicable to this territory (hereinafter referred to as the said "Code" which expression shall, where the context so admits include the rules and orders there under) by Shri Sureshchandra Ramanlal Desai, Resident of Brahmin Falia, Vatar, Vapi being the occupant of the plot registered under CADASTRAL SURVEY----- known as "-Moro", "Hajamwalu" situated at Village Bhimpore, Nani Daman Of Daman District-- registered under Survey No. 46/1 -1400.00, 46/2 -800.00, 46/3 -800.00 Sq.Mts. (hereinafter referred to as "the applicant" which expression shall, where the context so admits include his/her heirs, executors, administrators and assigns) for the permission to use the plots of land (hereinafter referred to as the "said plot" described in the Appendix I) hereto forming a part of P.T. sheet No. Survey No. 46/1, 46/2, 46/3 of Village Bhimpore, Nani Daman Of Daman District- admeasuring 1400.00, 800.00, 800.00 Sq.Mts. Square Meters be the same a little more or less for the purpose of -COMMERCIAL (HOTEL) - use.

अब यह प्रमाणित किया जाता है कि एतद्वारा उपर्युक्त कोड तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली के उपबन्धों तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त प्लॉट के उपयोग हेतु अनुमति दी जाती है

; अर्थात् :- Now, this is to certify that the permission to use for the said plots is hereby granted, subject, to the provisions of the said Code, and rules thereunder, and on the following conditions, namely :-

1 मृमि का समतलन तथा सफाई:- आवेदक को भूमि के गैर-कृषि उपयोग के जिस उद्देश्य हेतु अनुमति दी गई है, उस पर अस्वच्छता रोकने के विचार से वह भूमि का समतलन एवं सफाई करने हेतु बाध्य होगा *Leveling and clearing of the land* - The applicant shall be bound to level and clear the land sufficiently to render suitable for the particular non agricultural purpose for which the permission is granted to prevent insanitary conditions.

2 मूल्यांकन :- आवेदक को इस आदेश के जारी होने की तिथि से "समाहर्ता" द्वारा उक्त कोड तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली के तहत निर्धारित गैर-कृषि मूल्य का भुगतान करना होगा *Assessment: --* The applicant shall pay the non-agricultural assessment when fixed by the collector under the said Code and rules thereunder with effect from the date of this order.

3 उपयोग: आवेदक उक्त भूमि या उस पर बनाए गए या बनाए जाने वाले भवन का रिहायशी/औद्योगिक/ अन्य किसी गैर- कृषि उद्देश्य के सिवाय "समाहर्ता" के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग नहीं करेगा। *Use -* The applicant shall not use the said land and building erected or to erected thereon for any purpose other than residential/Industrial/ any other non-agricultural purpose, without the previous sanction of the Collector.

4 भवन बनाने हेतु समय सीमा :- आवेदक इस आदेश की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर उक्त प्लॉट में वास्तविक एवं स्थायी विवरण वाले भवन का निमाण शुरू करेगा। ऐसा नहीं कर सकने पर जब तक समाहर्ता द्वारा समय-समय पर इस अवधि का विस्तार नहीं किया जाता है तब तक दी गई अनुमति रद्द हुई समझी जायेगी।

Building time limit:- The applicant shall within five years from the date hereof, commence on the said plot construction of building of a substantial and permanent description, failing which unless the said period is extended by the Collector from time to time, the permission granted shall be deemed to have lapsed.

5 शुल्कों के भुगतान की जिम्मेदारी :- आवेदक उक्त भूमि पर लगाये जानेवाले सभी करों, उपशुल्कों तथा उपकारों का भुगतान करेगा।

Liability for rates: - The applicant shall pay all taxes, rates and cesses leviable on the said land.

6 दण्ड विधि (क): यदि आवेदक पूर्वोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो समाहर्ता बिना किसी पूर्वग्रह के उक्त कोड के उपबन्धों के तहत लागू दण्ड प्रभारित कर सकते हैं एवं ऐसे शुल्क एवं निर्धारित मूल्य का भुगतान करने पर उक्त प्लॉट को आवेदक के नाम जारी रख सकते हैं।

Penalty clause - - (a) If the applicant contravenes any of the foregoing conditions the Collector may, without prejudice to any other penalty to which the applicant may be liable under the provisions of the said Code continue the said plot in the occupation of the applicant on payment of such fine and assessment as he may direct.

(ख) उपखण्ड (क) में ऐसा कुछ उल्लेख होते हुए भी इसके बारे में समाहर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी समय सीमा के भीतर किसी भवन के हटाने या बनाए गए भवन या संरचना में परिवर्तन करने या इस अनुमति के उपबन्धों के प्रतिकूल उपयोग करने पर निदेश देना समाहर्ता के लिए विधि-सम्मत होगा तथा यदि ऐसे भवन को हटाया या इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो यह करने के लिए आने वाली लागत को आवेदक से भू-राजस्व वकाया के रूप में वसूली जाएगी।

(b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) it shall be lawful for the Collector to direct the removal or alteration of any building or structure erected or use contrary to the provisions of this grant within such time as specified in that behalf by the Collector, and on such removal or alteration not being carried out and recover the cost of carrying out the same from the applicant as on arrears of land revenue.

- 7 लागू कोड उपलब्ध : इसमें दिये गए उपबन्धों के सिवाय उक्त कोड तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली के उपबन्धों की शर्तों के तहत अनुमति दी जायेगी।
Code provision applicable – Save as herein provided the grant shall be subject to the provisions of the said Code and rules thereunder.

परिशिष्ट / APPENDIX – I

लम्बाई एवं चौड़ाई Length and Breadth		कुल पृष्ठीय Total Superficial Area	सर्व सं. या भाग सं./ Forming (part of) Survey No. or Hissa No.	सीमाएं/ Boundaries	अभियुक्तिया Remarks
उत्तर से दक्षिण/North to South	पूर्व से पश्चिम East to West			उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम North, South, East and West	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
--	--	1400.00, 800.00 & 800.00 Sq. Mts. respectively	46/1, 46/2 & 46/3 of Village Bhimpore, Nani-Daman of Daman District	<u>To or towards the</u> North:- The Govt. Nala South:- The Govt. Nala from which (southern-west corner) Road is provide East:- Survey No. 46/4-A West:- The Govt. Nala	
(AS PER SITE PLAN ENCLOSED HEREWITH)					

समाहर्ता, दमण ने निम्नलिखित के साक्ष्य में प्रशासक दमण एवं दीव की ओर से अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर प्रदान की है तथा आवदक ने दिनांक 03/05/2021 को अपने हस्ताक्षर किये हैं।

In witness whereof Collector, Daman, has hereunto set his hand and seal of his Office on behalf of the Administrator of Daman & Diu and the applicant has also hereunto set his hand
This — day of April, 2021

Suresh R. Desai
(SURESHCHANDRA RAMANLAL DESAI)

आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of the applicant

(साक्षियों के हस्ताक्षर एवं पदनाम)
(Signature and designation of witnesses)

मेरे समक्ष
BEFORE ME

SEAL

P.F. Patel
HE



Rakesh
(DR. RAKESH MINHAS)

समाहर्ता दमण / Collector of Daman

(साक्षियों के हस्ताक्षर एवं पदनाम)
(Signature and designation of witnesses)

1. Minhas R. Ramesh
2. Hitesh Patel

हम यह घोषणा करते हैं कि श्री

जिन्होंने इस सनद पर हस्ताक्षर किये हैं हमारी जानकारी के अनुसार ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं।

We declare that Shri/Smt Sureshchandra Ramanlal Desai who have signed this Sanad is, to our personal knowledge, the person he represent himself to be and that he /she has affixed his signature hereto in our presence.

1. Minhas R. Ramesh
2. Hitesh Patel